श्री जय राज, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति की दि0 19.03.2018 को प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के कार्यालय कक्ष में आयोजित हुई उन्नीसवीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति का विवरण :

1. श्री राजीव भरतरी, प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड एवं उपाध्यक्ष– उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यकारी समिति।
2. श्री जयराज, प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड एवं सदस्य– उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यकारी समिति।
3. श्री डी0बी0एस0 खाती, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य– उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यकारी समिति।
4. श्री हर्षेन्द्र कुमार सिंह, वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय (प्रतिनिधि अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड एवं सदस्य उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यकारी समिति)।
5. श्री जे.सी. जोशी, वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड वन विभाग एवं सदस्य, उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यकारी समिति।
6. श्री पंकज रावत, अपर सांख्यिकी अधिकारी (प्रतिनिधि प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यकारी समिति)।
7. श्री समीर सिन्हा, अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यकारी समिति।

विशेष आमंत्री

1. श्री विनीत पांगती, अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन अनुसन्धान, प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन, उत्तराखण्ड – विशेष आमंत्री

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यकारी समिति की 19वीं बैठक की एजेण्डावार कार्यवाही प्रारंभ की गई:–

कार्यसूची कार्यकारी समिति 19.1:

दिनांक 13.07.2017 को सम्पन्न हुई अठारहवीं कार्यकारी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुपालनः–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा दिनांक 13.07.2017 को आयोजित कार्यकारी समिति की अठारहवीं बैठक के कार्यवृत्त अनुसार लिये गये निर्णयों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या समिति के सदस्यगणों के समक्ष प्रस्तुत की गयी। समिति द्वारा कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 19.2: क्षतिपूरक वनीकरण निधि नियमावली 2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 03 अगस्त 2016 को क्षतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 2016 की अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके कम में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2018 को क्षतिपूरक वनीकरण निधि नियमावली 2018 जारी की गई है। नियमावली में व्यवस्था दी गई है कि कोई व्यक्ति प्रारूप नियमों में अंतर्विष्ट प्रस्तावों पर सुझाव देने के इच्छुक हैं तो वे नियमावली के विनिर्दिष्ट की गई अवधि (30 दिन) के भीतर अपने सुझाव भारत सरकार को प्रेषित कर सकते हैं। उक्त के क्रम में व्यापक विचार विमर्श उपरांत इस नियमावली पर विभिन्न बिन्दुओं के संबंध में विस्तृत टिप्पणी व सुझाव प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड की पत्र संख्या पी0ओ0 1082/2017–18 दिनांक 12 मार्च, 2018 द्वारा भारत सरकार को समयांतर्गत प्रेषित किए जाने के उद्देश्य से शासन को प्रेषित किए गए हैं, जिसकी अग्रिम प्रति प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा के निर्देशानुसार भारत सरकार को प्रेषित की गई है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को संबोधित अर्धशासकीय पत्रांक DO No. 15-2(34)/2017-CAMPA दिनांक 05 मार्च, 2018 में वित्तीय वर्ष 2018–19 की वार्षिक कार्ययोजना क्षतिपूरक वनीकरण निधि नियमावली, 2018 के प्राविधानों के तहत ही तैयार कराने एवं उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार ही कैम्पा निधि के उपयोग हेतु निर्देशित किया गया है। सदस्यगण उक्त से अवगत हुए।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 19.3: वित्तीय वर्ष 2017–18 में एडहॉक कैम्पा से प्राप्त धनराशि

समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2017–18 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना ₹ 19235.00 लाख के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा वर्तमान तक केवल ₹ 9600.00 लाख की धनराशि

अवमुक्त की गई है। उक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2017–18 के प्रारम्भ में उत्तराखण्ड कैम्पा में गत वर्षों की लगभग **₹ 15000 लाख** की अव्ययित धनराशि उपलब्ध थी। इसके दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 की वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष ₹ 9600.00 लाख के अतिरिक्त, द्वितीय किस्त नहीं अवमुक्त की गई।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 19.4: वित्तीय वर्ष 2017–18 की प्रगति।

सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा संचालन समिति की दिनांक 17 अगस्त, 2017 को संम्पन्न 12वीं बैठक में वर्ष 2017–18 हेतु 19235 लाख की वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन प्रदान किया गया था। उक्त के अतिरिक्त समिति द्वारा वर्ष 2016–17 की अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के रू0 12000 लाख की धनराशि के सापेक्ष अवशेष/अपूर्ण रह गए कार्यों को वर्ष 2017–18 में उन्हीं कार्यों के सम्पादन हेतु **पुर्नवैध** किया गया। इस प्रकार संचालन समिति की 12वीं बैठक में वर्ष 2017–18 हेतु कुल **₹ 31235.00 लाख** (विगत वर्ष के अवशेष गतिविधियों को पूर्ण करने हेतु ₹ 12000 लाख की धनराशि सहित) की वार्षिक कार्ययोजना अनुमोदित की गई थी।

अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष वर्तमान तक विभिन्न कियान्वयन अभिकरणों को ₹ 10204.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई, जिसके सापेक्ष दिनांक 19 मार्च 2018 की तिथि तक, एम0आई0एस0 के अनुसार ₹ 3855.72 लाख की धनराशि का व्यय किया गया है। जो कि अवमुक्त धनराशि का 38% है। व्यय की प्रगति का घटकवार विवरण निम्नानुसार है:–

धनराशि लाख ₹

विवरण	एन0पी0वी0	एन0पी0वी0 वन पंचायत	क्षतिपूरक वनीकरण	अन्य	कैट प्लान	कुल योग
स्वीकृत कार्ययोजना	17133.11	1863.2	4373.09	4822.1	3043.5	**31235.00**
अवमुक्त धनराशि	**3959.47**	**273.61**	**3005.72**	**1770.29**	**1194.91**	**10204.00**
अवमुक्त के सापेक्ष व्यय धनराशि	**1870.21**	**44.82**	**1353.67**	**209.12**	**377.9**	3855.72
अवमुक्त के सापेक्ष व्यय प्रतिशत	**47%**	**16%**	**45%**	**12%**	**32%**	38%

समिति द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय की धीमी प्रगति पर असंतोष प्रकट किया गया एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गये कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जोनल स्तरों/वन संरक्षक स्तर पर नियमित समीक्षा की जाए एवं समस्त प्रभागीय वनाधिकारियों को माह मार्च, 2018 में अपने आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष निर्धारित मानकों के अनुसार शत–प्रतिशत प्राप्ति के प्रयास करने हेतु निर्देशित किया जाए। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिए गये कि भविष्य में क्रियान्वयन

अभिकरणों को धनराशि की अगली किस्त अवमुक्त किए जाने से पूर्व उनके द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष किए गये व्यय की प्रगति को भी ध्यान में रखा जाय एवं न्यूनतम व्यय 70 प्रतिशत होने पर ही पुनः धनराशि अवमुक्त की जाय।

उक्त के अतिरिक्त समिति को स्थल विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत क्षतिपूरक वनीकरण कार्यों एवं वर्तमान में संचालित विभिन्न कैट प्लान परियोजनाओं की कैम्पा की स्थापना से लेकर वर्तमान तक की भौतिक/वित्तीय प्रगति से निम्नानुसार अवगत कराया गया–

(क) **क्षतिपूरक वनीकरण की प्रगति** :– क्षतिपूरक वनीकरण के बैकलॉग को पूर्ण किए जाने के उद्देश्य से तीन वर्षीय निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष वार्षिक कार्ययोजना 2017–18 के अंतर्गत 3226 है0 वृक्षारोपण कार्य तथा 3514 है0 अग्रिम मृदा कार्य के लक्ष्य सम्बन्धित वन प्रभागों को आवंटित किए गये थे, जिस हेतु वर्ष 2016–17 के अवशेष सहित कुल रु॰ 4373.09 लाख के वित्तीय लक्ष्य प्राविधानित किए गये थे। उक्त के सापेक्ष वर्तमान तक प्रभागों को 3654.90 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है व दिनांक 19.03.2018 तक एम0आई0एस0 में की गई प्रविष्टि के अनुसार प्रभागों द्वारा 2713 है0 वृक्षारोपण कार्य पूर्ण किया गया है तथा रु॰ 1353.67 लाख की धनराशि का व्यय किया गया है।

समिति को वर्षवार क्षतिपूरक वनीकरण के भौतिक लक्ष्यों की प्रगति से निम्नानुसार अवगत कराया गया–

वर्ष	वर्ष में आवंटित भौतिक लक्ष्य (हे0)	भौतिक प्राप्ति (हे0)	उपलब्धि प्रतिशत %
2011-2012	3972.52	3843.43	97
2012-2013	715.38	438.77	61
2013-2014	3080.84	2696.25	88
2014-2015	2078.00	2077.91	100
2015-2016	1432.90	1245.24	87
2016-2017	3155.01	2886.00	91
2017-2018 (ongoing)	3226.50	2713	84
योग	**17661.16**	**15858.47**	90

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि क्षतिपूरक वनीकरण संबंधी लक्ष्यों के आवंटन में एक नई व्यवस्था के अनुसार विभिन्न कियान्वयन अभिकरणों को वर्ष 2017–18 की कार्ययोजना के अंतर्गत क्षतिपूरक वनीकरण के लक्ष्य आवंटित

किए गए, जिसमें वास्तविक आवंटन उनकी भौतिक/वित्तीय मांग के आधार पर नहीं, अपितु, उनके द्वारा लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्ध कराई गई प्रकरणवार एवं रोपण स्थलों की सूचना के आधार पर किया गया। इस व्यवस्था के प्रारम्भ में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां परिलक्षित हुई हैं जिसके कारण प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यों एवं प्राप्त लक्ष्यों में कुछ भिन्नता दृष्टिगोचर हुई है, जो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंतर्गत streamline हो जाएगी।

क्षतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत लक्ष्यों को आवंटित किए जाने एवं आवंटन के सापेक्ष लक्ष्यों की शतप्रतिशत प्राप्ति के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई उपरोक्त व्यवस्था पर समिति द्वारा संतोष व्यक्त किया गया।

(ख) <u>कैट प्लान की प्रगति :–</u> विभाग में वर्तमान में संचालित कैट प्लान परियोजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2017–18 में प्राविधानित रू॰ 1700.00 लाख के सापेक्ष दिनांक 19.03.2018 तक सम्बन्धित प्रभागों को अवमुक्त रू॰ 1194.91 लाख की धनराशि तथा इसके सापेक्ष रू॰ 377.90 लाख के व्यय की प्रगति से समिति को अवगत कराया गया। साथ ही समिति को कैम्पा की स्थापना से वर्तमान तक हुए कैट प्लानवार अवमुक्त धनराशि एवं उसके सापेक्ष व्यय की प्रगति से भी निम्नानुसार अवगत कराया गया –

कैट प्लान का नाम	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0)	अवमुक्त धनराशि (लाख रू0)	वित्तीय प्रगति (लाख रू0)	उपलब्धि प्रतिशत %
तपोवन विष्णुगाड़	331.15	328.40	85.44	26
लाता–तपोवन	110.99	110.99	40.82	37
सिंगोली भटवाड़ी	103.63	96.73	5.19	5
फाटा–ब्यूंग	92.24	92.24	10.10	11
श्रीनगर ज0वि0प0	268.86	266.46	110.82	42
व्यासी ज0वि0प0	122.97	41.21	10.16	25
लखवाड़ ज0वि0प0	354.53	47.09	26.12	55
विष्णुगाड– पीपलकोटी	205.10	196.38	87.49	45
भ्युंडार–गंगा	00.00	00.00	00.00	
पी0एम0यू0	110.53	15.41	1.77	11
योग	**1700.00**	**1194.91**	**377.90**	**32**

प्रदेश के अंतर्गत संचालित विभिन्न कैट प्लान की उक्तानुसार प्राप्त धीमी प्रगति पर समिति द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया एवं इस सम्बन्ध में निर्देश दिए गये कि भारत सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि को सर्वप्रथम प्राथमिकता पर महत्वपूर्ण एवं वचनबद्ध गतिविधियों यथा–क्षतिपूरक वनीकरण तथा कैट प्लान सम्बन्धी गतिविधियों पर व्यय किया जाय। वर्तमान तक जिन कैट प्लान की डी0पी0आर0 तैयार नहीं हुई हैं, उन्हें यथाशीघ्र तैयार किए जाने के उद्देश्य से सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षकों के स्तर से अधीनस्थ वन प्रभागों को डी0पी0आर0 उपलब्ध कराने हेतु निश्चित अवधि का समय देते हुए निर्देश जारी कर दिए जाएं।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 19.5: वित्तीय वर्ष 2017–18 में किए गये अतिरिक्त क्षतिपूरक वनीकरण हेतु कार्योत्तर स्वीकृति:

समिति को अवगत कराया गया कि वार्षिक कार्ययोजना 2017–18 के अंतर्गत क्षतिपूरक वनीकरण मद में 3514 हे0 अग्रिम मृदा कार्य एवं 3216 हे0 वृक्षारोपण व पूर्व के वर्षो में किए गए वृक्षारोपण क्षेत्रों का अनुरक्षण तथा पौधशाला अनुरक्षण के मदों में कुल ₹ 4373.09 लाख की धनराशि (वर्ष 2017–18 के अंतर्गत रू0 4070 लाख तथा वर्ष 2016–17 में क्षतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत अव्ययित रू0 303.06 लाख की धनराशि सहित) स्वीकृत की गई थी। ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेलवे लिंक परियोजना एवं चारधाम ऑल वेदर रोड से संबंधित ऐसे वन भूमि हस्तांतरित प्रकरणों, जिनके सापेक्ष भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है व प्रयोक्ता ऐजेन्सियों द्वारा धनराशि जमा कराई जा चुकी है, से संबंधित क्षतिपूरक वनीकरण का कार्य प्राथमिकता पर कराए जाने के उद्देश्य से संबंधित वन प्रभागों की वार्षिक कार्ययोजना 2017–18 में प्रस्तावित अग्रिम मृदा कार्यों के लक्ष्यों को संशोधित करते हुए उक्त परियोजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले 945.81 हे0 के अतिरिक्त लक्ष्यों का चालू वित्तीय वर्ष में 3514 हे0 के कुल स्वीकृत लक्ष्य के अंतर्गत ही समायोजन किया गया।

उक्त 945.81 हे0 के अतिरिक्त अग्रिम मृदा कार्यों हेतु निर्धारित दरों के अनुसार वांछित रू0 453.06 लाख की अतिरिक्त धनराशि की पूर्ति वर्ष 2017–18 की कार्ययोजना के अंतर्गत क्षतिपूरक वनीकरण में विभिन्न मदों की अव्ययित धनराशि के अंतर्गत की गई, जिससे क्षतिपूरक वनीकरण मद के वित्तीय लक्ष्य का कुल आकार पूर्व में संचालन समिति द्वारा स्वीकृत ₹ 4373.09 लाख पर ही सीमित रहा। समिति उपरोक्त से अवगत हुई।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 19.6: वित्तीय वर्ष 2018–19 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना

सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि वर्ष 2018–19 की कार्ययोजना हेतु उपलब्ध होने वाली संभावित धनराशि का आंकलन निम्नानुसार है :–

क्रम संख्या	विवरण	धनराशि (करोड़ ₹)
1.	एडहॉक कैम्पा, भारत सरकार में वर्तमान में उपलब्ध उत्तराखण्ड प्रदेश की कैम्पा निधि	2113.00
2.	वार्षिक कार्ययोजना का संभावित आकार (कुल उपलब्ध निधि का 10%)	211.30

उक्त के अतिरिक्त उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 के प्रारम्भ में उत्तराखण्ड कैम्पा के पास गत वर्षों की संभावित रू0 15000 लाख की अव्ययित धनराशि भी शेष है।

वार्षिक कार्ययोजना 2018–19 के निरूपण के दृष्टिगत विभिन्न जोनल स्तरों से (प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड; प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड; प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड; अपर प्रमुख वन संरक्षक, प्रबंधन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, उत्तराखण्ड; मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं जोन; गढ़वाल जोन एवं शिवालिक जोन) से प्रस्ताव मांगे गए थे। उक्त स्तरों से प्राप्त प्रस्तावों एवं अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों यथा प्राकृतिक पुनरोत्पादन, हरेला/वन महोत्सव, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, तथा वित्तीय वर्ष के अंतर्गत आकस्मिक व्यय आदि को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2017–18 की प्रस्तावित रू0 21130.00 लाख की वार्षिक कार्ययोजना को उत्तराखण्ड कैम्पा स्तर पर संकलित कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रस्तावों पर विचार विमर्श उपरांत कतिपय मदों जो कि भारत सरकार द्वारा निर्गत क्षतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 2016 एवं क्षतिपूरक वनीकरण निधि नियमावली, 2018 के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य गतिविधियों की सूची में सम्मिलित नहीं हैं, को समिति द्वारा कार्ययोजना में सम्मिलित न किए जाने का निर्णय लिया गया।

समिति द्वारा वार्षिक कार्ययोजना 2018–19 में उपरोक्त के अतिरिक्त एन0पी0वी0 घटक के अंतर्गत प्रचार–प्रसार एवं जन जागरूकता मद (Publicity and Public Awareness) में ₹ 50.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किए जाने हेतु निर्णय लिया गया। वार्षिक कार्ययोजना का आकार कुल रु. 21130.00 लाख ही रखा गया है, जिसका गतिविधिवार विवरण निम्नानुसार है :–

CAMPA Plan wise APO of year 2018-2019

All financial figures are in Lakhs.

			Approved by Executive Committee	
S. No	Head	Unit	Phy	Fin
COMMITTED ACTIVITIES				
A	COMPENSATORY AFFORESTATION			
1	Advance Soil Work - CA	ha	3500	2000
2	CA Plantation against special projects - (All weather road , Railway link road)	ha	945.81	433
3	Plantation - CA	ha	2737.11	964
4	Nursery Maintenance - CA	ha	3925933	122
5	Plantation Maintenance - CA	ha	7914.66	770
6	Nursery Raising - CA	ha	3888699	232.5
	Total in Compensatory Afforestation			**4521.5**
B	CATCHMENT AREA TREATMENT PLANS			
	CAT PLAN			
1	IMPLEMENTATION OF CAT PLANS	Nos.		2500
	Total in C.A.T. Plan			**2500**
C	OTHER SPECIFIED ACTIVITIES			
	Road Side Plantation			
1	Advance Soil Work for Road Side Plantation	ha	87.23	38.54
2	Maintenance - Road Side Plantation	Row Km/Nos	10368.67	51.5
3	Maintenance of Nursery for Road Side Plantation	Nos.	1622190	17
4	Nursery Raising for Road Side Plantation	Nos.	59603	3
5	Plantation - Road Side Plantation	ha	11	2.5
	Sub-Total			**112.54**
	Gapfilling Plantation			
6	Advance Soil Work for Gap Filling Plantation	ha	204.6	102.36
7	Maintenance - Gap Filling Plantation	ha	442.12	46.1
8	Maintenance of Nursery for Gap Filling Plantation	Nos.	234745	8.47
9	Nursery Raising for Gap Filling Plantation	Nos.	17664	1.04
10	Plantation - Gap Filling Plantation	ha	86.5	11.83
	Sub-Total			**169.8**
	Dwarf Species Plantation			
11	Advance Soil Work for Dwarf Species Plantation	ha	178	97.52

12	Maintenance - Dwarf Species Plantation	ha/Nos.	461840	49.99
13	Maintenance of Nursery for Dwarf Dpecies Plantation	Nos.	192185	8.19
14	Nursery Raising for Dwarf Species Plantation	Nos.	5000	0.34
	Sub-Total			**156.04**
	Muck Disposal			
15	Muck Disposal Related Works	LS	LS	200
	Sub-Total			**200**
	Work against Collection of minor Minerals			
16	River Training Works	Nos.	150	500
	Sub-Total			**500**
	Total in Other Specified Activity			**1138.38**
D	**NET PRESENT VALUE**			
	Core Net Present Value (80%)			
	Forest Protection, Infrastructure and Human Resource Development			
1	Boundary Pillars (New)	Nos.	1736	86
2	Construction of High Altitude Patrolling Shelter	Nos.	18	97
3	Development of SFPG at Sensitive & High Altitude areas	Nos.	59	55
4	Fire Arms Purchase	Nos.	26	26
5	Forest Fire Management	LS	LS	1000
6	Hiring of vehicle	Nos	0	0
7	Protection of Bugyals through Local Community	ha	202	24
8	High Tech. Equip. for Enhanancement of Enforcement	Nos	6	104
9	Non-Conventional and Renewable Energy (Solar/Wind etc.)	Nos	60	90
10	Arrangement of field support equipments to facilitate front line staff	Nos	955	86
	Sub-Total			**1568**
	Strengthening of Wildlife Management			
11	Anti Poaching related activities	Nos.	47	256
12	Construction of rescue / rehabilitation center*	Nos.	2	400
13	Creation and maintenance of drinking water holes for wild animals	Nos.	184	191
14	Elephant Trenches	Km	50	50
15	Estimation of wildlife populations	Nos.	1	56
16	Ex-Situ Wildlife Conservation	No.	1	2

*Subject to meeting all statutary requirements.

17	Fencing (Solar , Thorny etc)	Km	7.66	79
18	High Altitude and Long Distance Patroling	Nos.	615	70
19	Human Wildlife Conflict Resolution	Nos.	7402	80
20	Habitat Improvement / Lantana Removal	ha	4021.15	375
21	Lantana Removal Maintenance	ha	468.75	19
22	Provision of food for wild animals at rescue / rehabilitation center	Nos.	1	10
23	Stone/Concrete walling at Critical boundaries/Elephant trenches	KM	39.2	743
24	Strengthening of wildlife conservation	Nos.	5	74
25	Wildlife Veterinary Care / Postmortem Expense	Nos.	3	150
26	Contingencies for WL activities	LS	LS	200
	Sub-Total			**2755**
	Soil And Water Conservation			
27	Contour Trenches	ha	3849	490
28	Creation of water bodies	Nos.	626	380
29	Maintenance of existing water Bodies	Nos.	205	131.84
30	Rejuvenation of Water Sources	Nos.	329	310
31	River front development (catchment area treatment part only)	ha	100	100
32	Soil & Water Conservation Measures	Nos.	3401	711
	Sub-Total			**2122.84**
	Plantation under NPV			
33	Advance Soil Works - Oak Plantation - ha	ha	505	283
34	Advance Soil Works - Deodar Plantation - ha	ha	355	197
35	Assisted Natural Regeneration (A.N.R) - ha	ha	500	200
36	Maintenance - Deodar Plantation - ha	ha	382.26	37
37	Maintenance - Oak Plantation - ha	ha	1149.89	124
38	Maintenance of Deodar Nursery - Nos	Nos.	350989	19
39	Maintenance of Oak Nursery - Nos	Nos.	426244.6	18
40	Model Plantation - ha	ha	111	26
41	Nursery Raising - Deodar Plants - Nos	Nos.	377865	26
42	Nursery Raising - Oak Plants - Nos	Nos.	383524.1	44
43	Other Plantations under NPV - Nos/ha	Nos/ha	105385.4	152
44	Plantation - Deodar Plantation - ha	ha	80	31
45	Plantation - Oak Plantation - ha	ha	155	51
46	ASW for Bamboo , Ringal and other natural grasses	ha	0	0
47	Public Awareness & Publicity Extention	LS	LS	50

	Sub-Total			**1258**
	Forestry Research			
48	Collaborative Research	Nos.	2	50
49	Demonstration plots & trails of need based initiatives	Nos.	2	93
50	Establishment/Maintenance of Seed Plots/Orchards	Nos.	2	5
51	Strengthening of Research Cell & Upgradation of laboratory	Nos.	2	37
52	Other Action Research	LS	LS	65
	Total in Forestry Research			**250**
	STRENGTHENING OF VAN PANCHAYATS			
53	Strategic Planning and Strengthening of Van Panchayats	LS	LS	1200
	Sub-Total			**1200**
54	Contingencies	LS	LS	**1200**
	Total in Core Forestry Activities (80% of NPV)			**10353.84** **80%**
	Other Net Present Value (20%)			
55	Modernizing of Strategic Barrier	Nos	16	77
56	Purchase of Field Vehicles	Nos.	0	0
57	Renovation of Existing Building (upto range level)	Nos	146	316.28
58	Repair of Bridle Path/Forest Road/ inspection paths	Km	1160	600
59	Survey & Demarcation	Ha	4885.5	35
60	Construction of New FG/Forester/Mali Chowki	Nos	50	500
61	Community Plantation and Mobilization (Harela / Van Mahotsav etc.) - No.	Nos	2	100
62	Modern seed storage facility for important nurseries	Nos.	2	84
63	Development of nursery techniques	Nos.	2	6
64	Capacity Building	Nos.	348	117
65	Bamboo Nursery and Bambusetum and their maintenance	Nos.	88750	6
66	Creation and maintenance of herbal garden, Development of Medicinal Plants	Nos.	4	24
67	Information and Communication Technology	Nos.	22	46
68	Monitoring And Evaluation	LS	LS	100
69	Printing / Publicity / Extension and Awareness	Nos.	10	82
70	Provisioning of Biodiversity Conservation	Nos.	1	1

71	Revision of working plans and wildlife management plans	Nos.	10	250
72	Srengthening of clusters of Bamboo,Ringal, Natural Fibre and grassess	Nos.	6	20
73	Strengthening of training institute	Nos.	4	50
74	Support to Project Management Unit (PMU)	Nos.	1	2
	Sub-Total			**2416.28**
	Operational Expences			
75	Operational / Admin Expense			200
	Sub-Total			**200**
				2616.28
	Total Non core activities in NPV (20%)			**20%**
	Total in NET PRESENT VALUE			**12970.12**
	Grand Total			**21130**

इस प्रकार वर्ष 2018–19 की मुख्य घटकवार प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना का आकार निम्नानुसार है –

एन0पी0वी0	एन0पी0वी0 वन पंचायत	क्षतिपूरक वनीकरण	अन्य	कैट प्लान	कुल योग (लाख ₹ में)
11770.12	1200	4521.50	1138.38	2500	**21130**

अतः वर्ष 2018–19 की उक्तानुसार प्रस्तावित कुल रू॰ 21130.00 लाख की वार्षिक कार्ययोजना संचालन समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाने हेतु कार्यकारी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त के अतिरिक्त कार्यकारी समिति द्वारा वर्ष 2017–18 की अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के स्वीकृत मदों के अंतर्गत अवशेष/अपूर्ण कार्यों को पूर्ण किए जाने के दृटिगत वर्ष 2017–18 की मदवार अवशेष धनराशि का वास्तविक आंकलन करते हुए, तदनुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस धनराशि को पुनर्वैध कराए जाने हेतु संचालन समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 19.7: उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय प्रबन्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु वार्षिक बजट

समिति को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय प्रबन्धन हेतु उत्तराखण्ड कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज की धनराशि से वेतन, कार्यालय व्यय इत्यादि मदों में वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु ₹ 303.60 लाख एवं ₹ 250.00 लाख वाहन क्रय हेतु बजट का संचालन एवं कार्यकारी समिति द्वारा

अनुमोदन प्रदान किया गया था जिसके सापेक्ष दिनांक 12.03.2018 तक ₹ 121.53 लाख का व्यय हुआ है।

उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय के प्रबन्धन हेतु उत्तराखण्ड कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज की धनराशि से वेतन, कार्यालय व्यय, इत्यादि मदों में वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु **₹ 315.00 लाख** का बजट कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 19.8 उत्तराखण्ड कैम्पा के लेखा की अद्यतन स्थिति

सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि कैम्पा निधि के अंतर्गत किये गये कार्यों का लेखा रखरखाव Double Entry System में Tally ERP9 Accounting Software के माध्यम से किया जा रहा है। वर्ष 2017–18 के अंतर्गत विभिन्न वन प्रभागों/क्रियान्वयन अभिकरणों को अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष किए गये व्यय के माह जनवरी, 2018 तक अप्राप्त लेखों का विवरण निम्नानुसार है –

क्र0सं0	वन प्रभाग का नाम	अप्राप्त मासिक लेखों का माह
1	गढ़वाल वन प्रभाग	जनवरी, 2018
2	बागेश्वर वन प्रभाग	जनवरी, 2018
3	भू0सं0 नैनीताल	जनवरी, 2018

अध्यक्ष, कार्यकारी समिति द्वारा उक्त के संबंध में निर्देश दिये गए कि समस्त क्रियान्वयन अभिकरण अपने प्रभाग/कार्यालय से संबंधित लेखा प्रत्येक माह के अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक प्रत्येक दशा में कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध करवाएं। इसके लिए उनके नियंत्रक अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 19.9 लेखा के लंबित प्रकरण।

समिति के संज्ञान में लाया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा विभिन्न वन प्रभागों के साथ मार्च 2017 तक लेखा मिलान का कार्य पूर्ण कर लिया गया है जिसमें विभिन्न वन प्रभागों के पास निम्नानुसार धनराशि लम्बित है। उक्त प्रभागों द्वारा इस धनराशि का न तो कोई लेखा उपलब्ध कराया गया है, न ही उक्त धनराशि कैम्पा को वापस की गई है –

कम सं0	वन प्रभाग का नाम	धनराशि (₹)
1	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग	3986930.00
2	पिथौरागढ़ वन प्रभाग	
(i)	विगत वर्षों की शेष धनराशि	73032.00
(ii)	वित्तीय वर्ष 2016–17 के स्वीकृत मद के इतर अन्यत्र मद में बिना अनुमति के व्यय की गई धनराशि	4825000.00
3	टिहरी डैम द्वितीय वन प्रभाग	618198.00

समिति द्वारा निर्देश दिए गये कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा, सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों एवं उनके नियंत्रक अधिकारियों (वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक) को समस्त अभिलेखों सहित प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के साथ प्रकरण पर विचार–विमर्श/आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक से बैठक आयोजित करें। समिति को अवगत कराया गया कि इस संबंध में प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के स्तर से प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही के निर्देश निर्गत करते हुए उनके नियंत्रक अधिकारियों को पत्र प्रेषित किए गए हैं।

<u>कार्यसूची कार्यकारी समिति 19.10 ई–ग्रीन वॉच की स्थिति।</u>

भारत सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में कैम्पा के अंतर्गत संपन्न किए गए कार्यों की ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर नियमित रूप से प्रविष्टियॉ किए जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय के स्तर पर गठित ई–ग्रीन वॉच सेल के माध्यम से वन प्रभागों के संबंधित स्टाफ को प्रशिक्षण दिए जाने का कार्य गतिमान है। उक्त प्रशिक्षणों में प्रतिभागी कार्मिकों को त्रुटिपूर्ण पॉलीगन को ठीक किए जाने एवं अवशेष कार्यों /बैकलॉक प्रविष्टियों को शीघ्रता से पूर्ण किए जाने के साथ ही गुणवत्ता युक्त प्रविष्टियों हेतु भी विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। दिनांक 16 जनवरी 2018 से आरम्भ किए गए प्रशिक्षण के उपरांत दिनांक 13.03.2018 तक कुल 28 वन प्रभागों को दिए गए प्रशिक्षण में 327 पॉलीगन पर कार्यवाही की गई, जिनका परीक्षण भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान द्वारा किया जाना शेष है।

प्रशिक्षण के दौरान ठीक किए गये पॉलीगन का विवरण निम्नानुसार है :–

Particular	CORRECT	INCORRECT	~~Poligans~~ Polygons corrected as on 19.03.2018	Remaining incorrect ~~Poligans~~ Polygons
CA LAND	1159	229	106	123
DIVERTED LAND	1824	228	43	185
OTHER PLANTATION SITES (NON CA)	41	741	81	660
PLANTATION WORKS (CA AND NON CA)	37	667	27	640
ASSETS SITES	222	355	70	285
TOTAL	**3283**	**2220**	**327**	**1893**

कैम्पा के अंतर्गत गठित ई–ग्रीन वॉच सैल द्वारा शेष 1893 त्रुटिपूर्ण पॉलीगन को ठीक किए जाने हेतु आगामी 3 से 6 माह के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

वर्तमान में ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर उत्तराखण्ड से संबंधित अब तक कुल अपलोड किए गए पॉलीगनों का सारांश निम्नानुसार है:–

Particular	CORRECT	INCORRECT	SATELLITE MONITORING NOT REQUIRED	PENDING FOR SOME REASON	PENDING AS SATELLITE IMAGERY	REMARKS NOT GIVEN	TOTAL
CA LAND	1159	229	0	12	0	48	**1448**
DIVERTED LAND	1824	228	57	1	13	41	**2164**
OTHER PLANTATION SITES (NON CA)	41	741	22	0	14	35	**853**
PLANTATION WORKS (CA AND NON CA)	37	667	0	17	9	25	**755**
ASSETS SITES	222	355	2108	831	111	66	**3693**
TOTAL	**3283**	**2220**	**2187**	**861**	**147**	**215**	**8913**

समिति द्वारा उक्त पर संतोष व्यक्त किया गया।

श्री विनीत पांगती, अपर प्रमुख वन संरक्षक–वन अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन द्वारा जी0आई0एस0 आधारित अनुश्रवण हेतु मोबाईल एप/नये सॉफ्टवेयर के सम्बन्ध में समिति को अवगत कराया। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि श्री विनीत पांगती, अपर प्रमुख वन संरक्षक–वन अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन इस विषय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा के साथ चर्चा कर अग्रेत्तर अपने सुझाव प्रस्तुत करें।

<u>कार्यसूची कार्यकारी समिति 19.11: अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति सें।</u>

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा कैम्पा निधि के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के वर्तमान मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के विषय में बताया कि वर्तमान में उक्त कार्य एफ0आर0आई0, देहरादून के साथ–साथ विभाग के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई द्वारा किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में मत व्यक्त किया गया कि अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य हेतु प्रदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से भी सम्पर्क कर इस विषय में विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त किये जा सकते हैं। तत्पश्चात उन प्रस्तावों को गुण एवं दोष के आधार पर परीक्षण कर अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय।

2. समिति द्वारा संज्ञान लिया गया कि पिछले वर्ष की समाप्ति पर विभिन्न वन प्रभागों द्वारा भारी मात्रा में नगद धनराशि आहरित की गई जो सर्वथा वित्तीय नियमों के प्रतिकूल है। समिति द्वारा इस सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की गई एवं अपेक्षा की गई कि वन प्रभागों को नगद धनराशि आहरित न किए जाने एवं रू॰ 2000/– से अधिक का भुगतान चैक/ड्राफ्ट/आर0टी0जी0एस0 अथवा डिजीटल माध्यम से किए जाने हेतु तत्काल निर्देशित किया जाए।

3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि कैम्पा निधि के अंतर्गत पूर्व के वर्षों में वन पंचायतों को दी गई धनराशि से 102 गोसदन का निर्माण

कराया गया है। अध्यक्ष, गोसेवा सदन, उत्तराखण्ड द्वारा सुश्री गौरी मौलखी के शिकायती पत्र पर आंख्या मांगी गई है, जिस हेतु मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल/शिवालिक को विस्तृत आख्या उपलब्ध करवाने हेतु पत्र प्रेषित किए गए हैं। इस संबंध में उनके स्तर से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गये कि इस सम्बन्ध में मुख्य वन संरक्षकों को तुरन्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाय।

बैठक के अन्त में उपस्थित समस्त सदस्यगणों का धन्यवाद करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(समीर सिन्हा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं
सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति
उत्तराखण्ड कैम्पा

अनुमोदित

(जय राज)
अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा
एवं प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड

****

उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण
(उत्तराखण्ड कैम्पा)

उत्तराखण्ड कैम्पा

वन मुख्यालय, 85–राजपुर रोड, देहरादून टेलीफैक्स : 0135–2744077 ई–मेलः ceocampa-forest-uk@nic.in /ceoukcampa@gmail.com
web site- www.ukcampa.org.in

पत्रांक–27 / 13–3(19) दिनांक, देहरादून, 19 अप्रैल, 2018

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड एवं उपाध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
3. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
4. प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
5. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
6. वित्त नियंत्रक, वन विभाग एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

(डॉ० समीर सिन्हा)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सदस्य–सचिव,
उत्तराखंड कैम्पा।

पत्रांक–27 (1)/13–3(19) दिनांकित।
प्रतिलिपि :– प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ० समीर सिन्हा)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सदस्य–सचिव,
उत्तराखंड कैम्पा।